

(TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA)

[EXTRAORDINARY]

PART-III,

SECTION - 4

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2011

F.No. 61-1/2011/NCTE(N&S) – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 23 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), and in pursuance of the Notification No. S.O. 750(E) dated 31st March, 2010 issued by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby makes the following amendments to the Notification dated 23rd August, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part - III, Section - 4, vide F.No. 61-1/2011-NCTE(N&S), dated the 25th August, 2010, laying down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher (hereby referred to as the principal Notification), namely :-

(I) Sub-para (i) of para 1 of the principal Notification shall be read as follows:

1. Minimum Qualifications :-

(i) Classes I – V

(a) Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 – year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2 – year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations, 2002.

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Education (Special Education)

OR

B.A. / B.Sc. / B.Com. and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

AND

- (b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

(II) Sub-para (ii) of para 1 of the principal Notification shall be read as follows :

1 (ii) Classes VI – VIII

- (a) B.A. / B.Sc. / B.Com. and 2 - year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

B.A. / B.Sc. / B.Com. with at least 50% marks and 1 – year Bachelor in Education (B.Ed.)

OR

B.A. / B.Sc. / B.Com. with at least 45% marks and 1 – year Bachelor in Education (B.Ed.), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 – year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year B.A.Ed. / B.Sc.Ed. or B.A.Ed. / B.Sc.Ed.

OR

B.A. / B.Sc. / B.Com. with at least 50% marks and 1 – year B.Ed. (Special Education)

AND

- (b) Pass in Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

(III) Para 3 of the principal Notification shall be read as follows :

(i) Training to be undergone – A person -

- (a) with B.A. / B.Sc. / B.Com. with at least 50% marks and B.Ed. qualification or with B.A./B.Sc./B.Com. with at least 45% marks and 1-year Bachelor in Education (B.Ed.), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard, shall also be eligible for appointment to Class I to V upto 1st January, 2012, provided he/she undergoes, after appointment, an NCTE recognized 6-month Special programme in Elementary Education ;
- (b) with D.Ed. (Special Education) or B.Ed. (Special Education) qualification shall undergo, after appointment an NCTE recognized 6-month Special programme in Elementary Education.

(ii) Reservation Policy :

Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as SC/ST, etc.

(IV) Para 5 of the principal Notification shall be read as follows :

- 5. (a) Teacher appointed after the date of this notification in certain cases :-** Where an appropriate Government or local authority or a school has issued an advertisement to initiate the process of appointment of teachers prior to the date of this Notification, such appointments may be made in accordance with the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time).
- (b) The minimum qualification norms referred to in this Notification apply to teachers of Languages, Social Studies, Mathematics, Science. In respect of teachers for Physical Education, the minimum qualification norms for Physical Education teachers referred to in NCTE Regulation dated 3rd November, 2001 (as amended from time to time)

shall be applicable. For teachers of Art Education, Craft Education, Home Science, Work Education, the existing eligibility norms prescribed by the State Governments and other school managements shall be applicable till such time the NCTE lays down the minimum qualifications in respect of such subject teachers.

(R.P.Sisodia)
Member Secretary

Note :- The principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part - III, Section - 4, vide Number F.61-1/2011-NCTE(N&S), dated the 25th August, 2010.

[भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून, 2011

फा.संख्या 61-1/2011/राअशिप(मा.तथामा.) – निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35वां) की धारा 23 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई, दिनांक 31 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.750(ई) के अनुसरण में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति की न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करने वाली, दिनांक 25 अगस्त, 2010 की फा.संख्या 61-1/2010-राअशिप(मा.तथामा.) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित दिनांक 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना में (जिसका उल्लेख इसके बाद मूल अधिसूचना के रूप में किया जाएगा) निम्न संशोधन करती है, नामतः:

(I) मूल अधिसूचना के पैरा 1 का उप पैरा (i) निम्नानुसार पढा जाएगा :

1. न्यूनतम अर्हता :

(i) कक्षा I से V

(क) न्यूनतम 50% अंकों सहित उच्चतर माध्यमिक (या इसके समतुल्य) तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों सहित उच्चतर माध्यमिक (या इसके समतुल्य) तथा राअशिप (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसरण में प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों सहित उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समतुल्य) तथा 4-वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम् 50% अंकों सहित उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समतुल्य) तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

तथा

(ख) राअशिप द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में पास होना।

(II) मूल अधिसूचना के पैरा 1 का उप पैरा (ii) निम्नानुसार पढ़ा जाएगा –

1.(ii) कक्षा VI – VIII

(क) बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम् 50% अंको सहित बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. तथा शिक्षा में 1 वर्षीय स्नातक (बी.एड.)

अथवा

न्यूनतम् 45% अंकों सहित बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. तथा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किए गए राअशिप (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)

अथवा

न्यूनतम् 50% अंको सहित उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समतुल्य) तथा प्रारम्भिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम् 50% अंकों सहित उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समतुल्य) तथा 4-वर्षीय बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड अथवा बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड.

अथवा

न्यूनतम् 50% अंकों सहित बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. तथा 1 वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

तथा

(ख) राअशिप द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में पास होना।

(III) मूल अधिसूचना का पैरा 3 निम्नानुसार पढ़ा जाएगा –

विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण – ऐसा व्यक्ति

(क) जिसने न्यूनतम् 50% अंकों सहित बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. पास किया हो और इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले राअशिप (मान्यता मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार शिक्षा में 1 वर्षीय स्नातक (बी.एड.) किया हुआ हो, वह भी कक्षा I से V तक के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र होगा बशर्ते कि उसने 1 जनवरी, 2012 तक प्रारम्भिक शिक्षा में राअशिप द्वारा मान्यता प्रदत्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा कर लिया हो।

(ख) डी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड. (विशेष शिक्षा) अर्हता रखने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में राअशिप द्वारा मान्यता प्रदत्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा करना होगा।

(ग) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आदि जैसी आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 5% तक की छील दी जाएगी।

(IV) मूल अधिसूचना का पैरा 5 निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

5. (क) कुछ मामलों में इस अधिसूचना की तारीख के बाद नियुक्त किए गए अध्यापक : जिन मामलों में किसी उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा स्कूल ने अध्यापकों की नियुक्ति के लिए इस अधिसूचना की तारीख से पहले विज्ञापन जारी कर दिया है, ऐसी नियुक्तियां समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम् अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 के अनुसार की जाएंगी।

(ख) इस अधिसूचना में उल्लिखित न्यूनतम् अर्हता मानदण्ड भाषा, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान के अध्यापकों के मामले में लागू होंगे। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के मामले में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए राअशिप द्वारा, दिनांक 3 नवम्बर, 2001 के विनियम (समय-समय पर यथासंशोधित) में यथाउल्लिखित न्यूनतम् अर्हता मानदण्ड लागू होंगे। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान, कार्यशिक्षा के अध्यापकों के मामलों में राज्य सरकारों तथा अन्य स्कूल प्रबन्धनों द्वारा निर्धारित वर्तमान पात्रता मानदण्ड उस समय तक लागू रहेंगे जबतक कि उक्त विषयों के अध्यापकों के सम्बन्ध में राअशिप न्यूनतम् अर्हताओं का निर्धारण करें।

(आर.पी.सिसोदिया)
सदस्य सचिव

टिप्पणी :- मूल अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2010 की फा. संख्या 61-1/2011/राअशिप (मा.तथामा.) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III के खण्ड - 4 में प्रकाशित हुई थी।